

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रुड़की के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 से 28.11.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.02.2018 से 09.03.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

- 2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

- (ii) (अ) राजस्व विवरण:

विगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	14758
2016-17	16007.02
2017-18	1257.11

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाईA.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में निर्माता एवं ट्रेडर्स को आच्छादित किया गया है यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व:-03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय:- ----- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर सं० 01- कर का न्यूनारोपण ₹ 9.57 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-II राज्यकर, रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ए स्क्रवायर सिस्टम, रामनगर रूडकी क.नि. वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में ₹1,12,58,362/- की स्वनिर्मित प्लास्टिक टेप की विक्री 5% की दर से की गई थी। चूंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी अतः उक्त की विक्री पर अन्तरीय दर 8.5% से ₹ 9,56,960/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया की प्लास्टिक टेप को पैकिंग मटेरियल की वस्तु माना गया है जो उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II की प्रविष्टि संख्या 9 से आच्छादित है एवं उक्त वस्तु पर 5% की दर से कर देयता निर्धारित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा धारा 57 पत्रांक 797/आयु०क० उत्तरा०/08-09/वैट अनुभाग/वा० कर०/देहरादून दिनांक 10.06.2008 एवं पत्रांक आयु०क०उत्तरा०/धारा-57 अनुभाग/ वा०कर०/ 2014-15/देहरादून दिनांक- 14-08-14 द्वारा प्लास्टिक टेप को अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए 13.5% की दर से करारोपण किया है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर -01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.77 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री लक्ष्मी एजेंसीज रुड़की द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 1776402/- को विलंब से जमा किया गया था।(विवरण संलग्न)

अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियमानुसार ₹ 1,77,640/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र.स.	व्यौहारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (₹)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (कर का 10%)(₹ में)
1.	सर्वश्री लक्ष्मी एजेंसीज रुड़की टिन: 05004035807	2014-15	04/2014	20.05.14	24.05.2014	223746	22374.60
			05/2014	20.06.14	24.06.2014	134115	13411.50
			08/2014	20.09.14	24.09.2014	69810	6981.00
			09/2014	20.10.14	31.10.2014	444863	44486.30
			10/2014	20.11.14	25.11.2014	585023	58502.30
			11/2014	20.12.14	27.12.2014	89910	8991.00
			12/2014	20.01.15	23.01.2015	112240	11224.00
			01/2015	20.02.15	28.02.2015	116695	11669.50
			योग				

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-36/2004-05	01,02	01,02,03	-
CT-39/2005-06	01	-	
CT 09/2006-07	01,02	-	
CT-13/2008-09	02	01	
CT-18/2011-12	-	01,04	
CT-44/2014-15	01	01	01,02
CT-17/2015-16	01,02	01,02	
CT-36/2016-17	01,02	01,02,03,04	
CT-16/2017-18	01	01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	प्रस्तर	अनुपालन आख्या
			शून्य	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सके।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
- सतत् अनियमितताएं:**
टिप्पणी- शून्य
- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	श्री अभय कुमार पाण्डेय	(उपायुक्त (क.नि.-II रा.क. रुड़की)
2	श्री धर्मन्द्र राज	(उपायुक्त)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ खया पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र